न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 70 / 2022
निर्णय दिनांक : 26.10.23

1. श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री सीताराम चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम गणपतपुरा, कलवाडा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र बोदू जाति जाट निवासी ग्राम गणपतपुरा, कलवाडा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
1. उप तहसीलदार, उप तहसील बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोनर, पता तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 342 के खसरा नम्बर 31 कबा 0.19 हैक्टयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.19 हैक्टयर वाके ग्राम सिराणी मय गणपतपुरा, पटवार हल्का भापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर मे स्थित हैं जिस पर प्रार्थी काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग मे लेती आ रही हैं। प्रार्थी ने अपनी उक्त आराजी कृषि भूमि का श्रीमान् उप तहसीलदार (अप्रार्थी संख्या 2) के आदेश कमांक / सीमाज्ञान / 599–601 दिनांक 29–03–2022 के द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 11–05–2022 को करवाया सीमाज्ञान के अनुसार जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त हैं परन्तु प्रार्थी के खसरा नम्बर 31 की भूमि के पश्चिम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:35:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि जिनके खसरा नम्बर 31/1 वाके ग्राम सिराणी मय गणपतपुरा, पटवार हल्का भापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर स्थित हैं। अप्रार्थी संख्या 1 तथा उनके प्रतिनिधि आये दिन प्रार्थी की कृषि भूमि मे दखल अन्दाजी करते रहते हैं जिस कारण प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की सही प्रकार से देखभाल करने में असमर्थ रहते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिजनो ने सीमाज्ञान मे भी व्यवधान कारित किया गया था जिस पर अप्रार्थी 2 व उसके मातहत कर्मचारियों से पुलिस इमदाद लेकर सीमाज्ञान करना पड़ा। प्रार्थी की भूमि के बाकी हिस्से मे तो पुख्ता सीमा कायम कर रखी हैं लेकिन खसरा नम्बर 31 के पूर्वी तरफ की ओर पुख्ता सीमाबन्दी करवाकर पशुओ इत्यादि से सुरक्षा करना चाहती हैं जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिजन व्यवधान कारित करते हैं तथा प्रार्थी की भूमि की सीमा मे घुसपेठ करते रहते हैं इस कारण प्रार्थी को उक्त भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हुआ हैं जिससे भविष्य मे किसी प्रकार का वाद विवाद पडोसी काश्तकारो से न रहें। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 व उसके प्रतिनिधियों की हरकतो से परेशान हो गयी हैं तथा आगे विवाद से बचने के लिए तथा आगे भी भविष्य मे कोई विवाद न हो इस कारण प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहती हैं। प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि के अभिलेखित खातेदार काबिज काश्तकार हैं। प्रार्थी को अपनी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 11–5–2022 के आधार पर पत्थरगढी करवाने की कानूनन अधिकार हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी की कृषि भूमि खाता संख्या 342 के खसरा नम्बर 31 रकबा 0.19 हैक्टयर वाके ग्राम सिराणी मय गणपतपुरा, पटवार हल्का भापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 06.10.2022 को वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद रजि0 नोटिस तामिल उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार सांगानेर से बिन्दुवार जवाब प्राप्त। तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त जवाब में अंकित किया है कि ग्राम सिराणी मय गणपतपुरा, पटवार हल्का भापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर मे स्थित खसरा नम्बर 31 कबा 0.19 हैक्टेयर मौके पर खाली है एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट 11.05.2022 संलग्न कर भिजवाई गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:35:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिक...
जयपुर द्वितीय (सांग...

पत्रावली में बहस प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की वाके ग्राम सिराणी मय गणपतपुरा, पटवार हल्का भापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर स्थित खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 342 के खसरा नम्बर 31 कबा 0.19 हैक्टयर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया।

हमने बहस प्रार्थी पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की वाके ग्राम सिराणी मय गणपतपुरा, पटवार हल्का भापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर स्थित खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 342 के खसरा नम्बर 31 कबा 0.19 हैक्टयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.19 हैक्टयर की उप तहसीलदार, उप तहसील बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की फर्द मौका सीमाज्ञान–रिपोर्ट आदेश दिनांक 11.05.2023. के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 26/10/23 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:35:53 IST
Reason: SelfAttested